29/05/2025

– आवेदक राम गोपाल यादव, निवासी– कोरबा, के द्वारा ग्राम– कोरबा, प.ह.नं.–16, तहसील व जिला– कोरबा में स्थित वार्ड कमांक–16 पम्प हाउस में लगभग 5 पेड़ सूखा है जो कि वहॉ के राहवासी को डर बना रहता है। इस कारण से उस पेड को काटना अति आवश्यक है। अतः वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु सुशासन तिहार में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
– प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण / संयुक्त जॉच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप–घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 29/05/2025 प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप –घ के अनुसार नीलगिरी– 01 नग, साल– 01 नग, नीम–01 नग कुल–03 नग वृक्ष पाया गया, जिसमें से कुल –03 नग वृक्ष को काटने हेतु मौके में पाया गया है।
– छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।
– छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:–
(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,
(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,
(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।
– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।
– नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– 03 नग वृक्ष कटाई के नियत 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल– 03 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

– संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा (छ0ग0)

1221
02/06/2025

प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

राम गोपाल यादव,
निवासी– कोरबा, प.ह.नं.–16
तहसील व जिला.–कोरबा,

विषयः– 03 नग वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक– 26/05/2025 के तहत राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक– 26/05/2025 को जारी किया गया। संबंधितों से संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 29/05/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:–.

साल–1, नीम–1, नीलगिरी–1, कुल– 03 नग सूखे वृक्ष अवस्थित रूप से खड़े अवस्था में हैं।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक राम गोपाल यादव, निवासी– कोरबा, के द्वारा ग्राम–कोरबा, प.ह.नं.–16, तहसील व जिला– कोरबा, में स्थित वार्ड कमांक 16 पम्प हाउस कोरबा में कुल 03 नग सूखे वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल – 03 नग वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परियहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

वृक्ष कटाई के नियम 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल– 03 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग–कोरबा
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक / /2025

पृ.क्र. 1222 /अ.वि.अ./वाचक/2025
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग–कोरबा
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)